न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—संजय कुमार आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :—098 / 2024

1. रविन्द्र कुमार पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. भीमसेन पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. उग्रसेन पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अमित कुमार पुत्र सोमप्रकाश जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. दिनेश पुत्र सोमप्रकाश जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — **वादीगण**

बनाम

1. भूपसिह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शंकर पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सोमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. भागवन्ती देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. सुशीला पुत्री भूपसिह पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी 9 एसपीएम चेतराम वाला, केवलवाली ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. अनिता पुत्री शंकर पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी पन्नीवाली 14 एसडीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

उपस्थित अभिभापकगण ::—

1. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री करनैलसिह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक — 12.6.024

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

वादी रविन्द्र कुमार आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत घोषणा, खाता विभजन के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि चक नम्बर 2 आर डी के खाता संख्या 93 / 88 में कुल 4.629 हैक्टर में वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 5 के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 4 हिस्सा, वादी संख्या 2, 3 व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता, प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 4 हिस्सा, वादी संख्या 4 व 5 के पिता, प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

संख्या 3 का 1/4 हिस्सा व वादीगण की बुआ प्रतिवादीया संख्या 4 का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो विरासतन की सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का पूर्व में प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बंटवारा हो गया था व बंटवारा में प्रतिवादीया संख्या 4 ने अपने हिस्सा की आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक रुप से त्याग कर दी थी, वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बंटवारा मे प्राप्त हुई थी, जिसका शपथ पत्र भी तहरीर करवाया हुआ है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का अब वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बंटवारा हो गया है व बंटवारा मे प्रतिवादीया संख्या 5 ने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी संख्या 1 के पक्ष में तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर किया हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने अपने नाम की आराजी वादीगण को बटवारा मे दी हुई है, जिसका आपस में बटवारा किया हुआ है।

क. वादी संख्या 1 रविन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25/1.265, 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक में 0.055 हैक्टर पूर्वी दिशा।

ख. वादीगण संख्या 2 भीमसेन व वादी संख्या 3 उग्रसेन को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 2 आर.डबल्यू डी के पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 4,7,14,17,24 प्रत्येक किला में 0.198 हैक्टर पश्चिमी दिशा, किला नम्बर 8/2/0.126, 13/2/0.127, 18/2/0.127, 23/0.126, 3/2/0.050 हैक्टर पूर्वी दिशा।

ग. वादीगण संख्या 4 अमित कुमार, वादी संख्या 5 दिनेश को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 226/346(81) किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 227/345 किला नम्बर 16/1/0.113, 16/2/0.026 हैक्टर गै0मु0, 17/0.253, 23/3/0.164, 24/2/0.203, 25/3/0.189 हैक्टर, 25/4/0.013 हैक्टर गै0मु0, पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 3/2/0.076 हैक्टर।

वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है लेकिन वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा में प्राप्त आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीगण ने वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार आराजी अपने नाम से अंकन करवाने का अनुतोष चाहा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित घरू बंटवारा के अनुसार आराजी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया।बस यही विनाय दावा है।

वादीगण का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

(क) घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण अपनी अपनी आराजी के [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नम्बर 2 आर डबल्यू डी के [illegible] 93/88 मे से भूपसिह, भागवन्ती देवी, शंकर, सोमप्रकाश का नाम [illegible] किया जावे।

(ख) वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

(घ) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत होने पर सरिश्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो विरासतन की सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का पूर्व में हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बंटवारा हो गया था व बंटवारा में प्रतिवादीया संख्या 4 ने अपने हिस्सा की आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक रुप से त्याग कर दी थी, वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त हुई थी। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का अब वादीगण व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बंटवारा हो गया है व बंटवारा मे प्रतिवादीया संख्या 5 ने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी संख्या 1 के पक्ष में तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष मे बहिस्सा बराबर किया हुआ है। हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने अपने नाम की आराजी वादीगण को बटवारा मे दी हुई है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बंटवारा में प्राप्त आराजी निम्न प्रकार से है:–

क. वादी संख्या 1 रविन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25/1.265, 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक में 0.055 हैक्टर पूर्वी दिशा।

ख. वादीगण संख्या 2 भीमसेन व वादी संख्या 3 उग्रसेन को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 2 आर.डबल्यू डी के पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 4,7,14,17,24 प्रत्येक किला में 0.198 हैक्टर पश्चिमी दिशा, किला नम्बर 8/2/0.126, 13/2/0.127, 18/2/0.127, 23/0.126, 3/2/0.050 हैक्टर पूर्वी दिशा।

ग. वादीगण संख्या 4 अमित कुमार, वादी संख्या 5 दिनेश को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 226/346(81) किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 227/345 किला नम्बर 16/1/0.113, 16/2/0.026 हैक्टर गै0मु0, 17/0.253, 23/3/0.164, 24/2/0.203, 25/3/0.189 हैक्टर, 25/4/0.013 हैक्टर गै0मु0, पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 3/2/0.076 हैक्टर।

वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है इसलिए वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बंटवारा के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 2 आर डबल्यू डी के खाता सं0 93/88 मे से भूपसिह, भागवन्ती देवी, शंकर, सोमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाने का निवेदन किया गया। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटोप्रतियॉ प्रस्तुत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र पेश किया गया व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादीगण ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है, जिस कारण से प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नही रहा है तथा वादीगण ने अपनी आराजी का वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार बटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में बंटवारा हो गया है व वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित बंटवारा के अनुसार आराजी वादीगण को प्राप्त हुई है। हम प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से त्याग किया हुआ है। वादीगण ने वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार अपनी आराजी का बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:08 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जवाबदावा मय राजीनामा,शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीया प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का वाद साबित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जवाबदावा मय राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि

क. वादी संख्या 1 रविन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25/1.265, 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक में 0.055 हैक्टर पूर्वी दिशा।

ख. वादीगण संख्या 2 भीमसेन व वादी संख्या 3 उग्रसेन को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 आर.डबल्यू डी के पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 4,7,14,17,24 प्रत्येक किला में 0.198 हैक्टर पश्चिमी दिशा, किला नम्बर 8/2/0.126, 13/2/0.127, 18/2/0.127, 23/0.126, 3/2/0.050 हैक्टर पूर्वी दिशा।

ग. वादीगण संख्या 4 अमित कुमार, वादी संख्या 5 दिनेश को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 2 आर.डबल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 226/346(81) किला नम्बर 24, 25 पत्थर नम्बर 227/345 किला नम्बर 16/1/0.113, 16/2/0.026 हैक्टर गै0मु0, 17/0.253, 23/3/0.164, 24/2/0.203, 25/3/0.189 हैक्टर, 25/4/0.013 हैक्टर गै0मु0, पत्थर नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 3/2/0.076 हैक्टर।

उपरोक्त अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चक नम्बर 2 आर डबल्यू डी के खाता संख्या 93/88 मे से भूपसिह, भागवन्ती देवी, शंकर, सोमप्रकाश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील ... दाखिल ... हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.6.024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :–098/2024

1. रविन्द्र कुमार पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. भीमसेन पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. उग्रसेन पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अमित कुमार पुत्र सोमप्रकाश जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. दिनेश पुत्र सोमप्रकाश जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम

1. भूपसिह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शंकर पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सोमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. भागवन्ती देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. सुशीला पुत्री भूपसिह पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी 9 एसपीएम चेतराम वाला, केवलवाली ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. अनिता पुत्री शंकर पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी पन्नीवाली 14 एसडीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा :–88,53 आ[illegible] [illegible]षणा व खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :– 12.6.024

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से करनैलसिह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.6.024 को

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

संजय कुमार उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

क. वादी संख्या 1 रविन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी — चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यू.डी. के मुरब्बा नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25/1.265, 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक में 0.056 हैक्टर पूर्वी हिस्सा।

ख. वादीगण संख्या 2 शीमदीन व वादी संख्या 3 जयदीन की शामिलाती प्राप्त आराजी — चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यू.डी. के मुरब्बा नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 4,7,14,17,24 प्रत्येक किला में 0.198 हैक्टर पश्चिमी हिस्सा, किला नम्बर 8/2/0.126, 13/2/0.127, 18/2/0.127, 23/0.126, 3/2/0.056 हैक्टर पूर्वी हिस्सा।

ग. वादीगण संख्या 4 अमित कुमार, वादी संख्या 5 विनेश की शामिलाती प्राप्त आराजी — चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यू.डी. के मुरब्बा नम्बर 226/346(81) किला नम्बर 24, 25 मुरब्बा नम्बर 227/345 किला नम्बर 16/1/0.113, 16/2/0.026 हैक्टर, गै0मु0, 17/0.253, 23/3/0.164, 24/2/0.203, 25/3/0.189 हैक्टर, 25/4/0.013 हैक्टर गै0मु0, मुरब्बा नम्बर 227/346(80) किला नम्बर 3/2/0.076 हैक्टर।

उपरोक्त अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकबा राज अलग से कायम करने व चक नम्बर 2 आर डब्ल्यू डी के खाता संख्या 93/88 में से भूपसिंह, भागवन्ती देवी, शंकर, सोमप्रकाश का नाम कमजर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे।भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.6.024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
रुपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
आदेशिका की तामिल	—	योग	—
योग			

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner